



राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प. 4(1)कार्मिक / क-4 / 2024

जयपुर, दिनांक :

राजस्थान प्रशासनिक सेवा की
सुपरटाईम वेतन शृंखला के बैच 1998,
के समस्त अधिकारीगण।

विषय :-संतान संबंधी घोषणा-पत्र एवं निर्धारित प्रपत्र भिजवाने के संबंध में।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7(1)DOP/A-II/95दिनांक 20.06.2001 के
क्रम में लेख है कि उपरोक्तानुसार अधिकारी गण संतान संबंधी घोषणा-पत्र एवं संलग्न
निर्धारित प्रपत्र की सूचना इस विभाग की **E-mail ID - itcell.dop@rajasthan.gov.in** पर
अविलम्ब भिजवाने का श्रम करावे।

संलग्न : - निर्धारित प्रपत्र।

(कनिष्क कटारिया)
संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref
8591970

Document certified by KANISHAK
KATARIA <kanishak.kataria@ias.gov.in>.

Digitally Signed by Kanishak

Kataria-2227-17
Designation: Joint Secretary To
Government

Date :03-07-2024 12:12:16

कमरा नं. 1221, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर। फोन नं. 2227-17
Web site - www.dop.rajasthan.gov.in **E-mail - itcell.dop@rajasthan.gov.in**

राजस्थान प्रशासनिक सेवा की हायर सुपरटाईम वेतन शृंखला वर्ष 2024-25 में पदोन्नति हेतु प्रपत्र

क्र.सं.	अधिकारी का विवरण	विवरण		
1	अधिकारी का नाम			
2	जन्म तिथि			
3	राजस्थान प्रशासनिक सेवा में कार्यग्रहण करने की तिथि			
4	राजस्थान प्रशासनिक सेवा में स्थाईकरण की तिथि			
5	वर्तमान पद एवं उस पर कार्यग्रहण करने की तिथि			
6	सेवा अवधि में लिए गये असाधारण अवकाश का विवरण (सेवा पुस्तिका की प्रति संलग्न करें)			
7	वर्तमान में लम्बित विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण की सूचना (यदि हो तो प्रति संलग्न करें)			
8	गत 7 वर्षों में पारित दण्डादेश एवं निलम्बन अवधि की सूचना			
क्र.सं.	असाधारण अवकाश का विवरण	कुल दिवस	अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी	अवकाश स्वीकृति आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4	5

उपरोक्त तथ्य एवं सूचनाएं सही हैं एवं मेरे द्वारा किसी तथ्य को छुपाया नहीं गया है। उक्त में से कोई सूचना गलत पाये जाने पर मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

दिनांक :

हस्ताक्षर अधिकारी
मय पद नाम

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री राजस्थान प्रशासनिक सेवा के पद पर दिनांक से कार्यरत है। उपरोक्त विवरण का सत्यापन राजसेवक के सेवा अभिलेख से कर लिया गया है, जिसके अनुसार उक्त विवरण पूर्णतया सही है। श्री/श्रीमती/सुश्री द्वारा सेवा अवधि में कुल दिन का असाधारण अवकाश लिया गया है तथा असाधारण अवकाश का अन्य कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

श्री/श्रीमती/सुश्री ने दिनांक 01.04.2024 को राजस्थान प्रशासनिक सेवा में वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है। वर्तमान में इनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है (यदि विभागीय जांच/अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित हो तो छाया प्रति संलग्न करें) एवं इस अवधि में इनके विरुद्ध कोई दण्डादेश जारी नहीं किया गया है (यदि दण्डादेश हो तो छाया प्रति संलग्न करें)।

हस्ताक्षर विभागाध्यक्ष
मय पदनाम एवं मोहर

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7(1)DOP/A-II/95 दिनांक 20.06.2001 के क्रम में
कर्मचारी द्वारा दी जाने वाली घोषणा

मैं.....पद.....

कार्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि :-

1. दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों (पुत्र एवं पुत्री) की संख्या..... थी।

क्र०सं०	नाम	जन्म तिथि

2. दिनांक 01.06.2002 को एवं इसके पश्चात् मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

अथवा

दिनांक 01.06.2002 को एवं इसके पश्चात् मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है एवं वर्तमान में बच्चों
(पुत्र एवं पुत्री) की कुल संख्या है।

क्र०सं०	नाम	जन्म तिथि

हस्ताक्षर
स्थान :-
दिनांक :

नाम.....बैच.....
वेतन शृंखला.....वरिष्ठता सूची क्रमांक
पद.....
विभागी / कार्यालय.....